"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2017— माघ 26, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2016/1-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 12 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 88% तथा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 12% (10% अंक प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा के लिये तथा 2% अंक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों के व्यक्तित्व, व्यवहार, उपस्थिति एवं समय की पाबंदी तथा उन्हें दिए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर) अधिमान्यता देते हुए, कुल अभिप्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी."

No. F 1-1/2016/1-3. — In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

In Rule 12, in sub-rule (1), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely :-

" Provided that inter-seniority of the officers on probation of the State Administrative Service, State Police Service, State Forest Service and State Finance Service, appointed on probation through the Chhattisgarh Public Service Commission by direct recruitment , shall be determined as per the merit list prepared by adding the total marks obtained, by giving weightage of 88% to the marks obtained in the Public Service Commission Examination and 12% (10% marks for the examination conducted during the training and 2% marks on the basis of assessment of personality, behaviour, attendance and punctuality of Probationary Officer and evaluation of work given to them during training at the training institute) to the marks obtained in the examination conducted by the Concerned training institution during the probation period."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.